प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 224/2005

याचिकाकर्तागण : श्री अनिल कुमार तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण : मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

एवं

15 अन्य संबंधित रिट याचिकाएँ

निर्णय एवं आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 04-08-2008 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 224/2005

1. श्री अनिल कुमार तिवारी पिता श्री जी.पी. तिवारी, उम्र लगभग 34 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यालय, राजनांदगांव, निवासीः ममता नगर, राजनांदगांव।

2. श्री संजय लांजेवार पिता श्री डॉ. जी.एस. लांजेवार, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यालय, दुर्ग, निवासीः एलियास भवन, दुर्ग, गुंडरदेही।

3. श्री एन.डी. त्रिपाठी पिता श्री एस.आर. त्रिपाठी, उम्र लगभग 30 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यालय, दुर्ग, निवासी द्वारा श्री के.पी. तिवारी, कृषि उपज मंडी बेमेतरा के सामने, जिला दुर्ग।

4. श्री वी.के. शुक्ला पिता श्री आर.एन. शुक्ला, उम्र लगभग 31 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यालय, बिलासपुर।

5. श्री कौशलेन्द्र मिश्रा पिता डॉ. डी. मिश्रा, उम्र लगभग 30 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यालय, रायपुर।

6. श्री यू.एस. तोमर पिता श्री बी.एस. तोमर, उम्र लगभग 31 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यालय, रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्री डी.पी. भार्गव, पिता श्री एच.एल. भार्गव, उम्र लगभग 34 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यालय, बिलासपुर।

8. श्री जी.पी. अग्रवाल पिता श्री के.आर. अग्रवाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, रायपुर।

9. श्री वी.डी. पटेल पिता श्री एम.डी. पटेल, उम्र लगभग 34 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी, कार्यालय मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, बिलासपुर।

10. श्री देवेंद्र श्रीवास्तव पिता श्री एन.पी. श्रीवास्तव, उम्र लगभग 31 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, शहडोल निवासी मुर्दिया बाग चमरियाजी का मकान बुढार जिला शहडोल।

11. श्री पी.के. व्यास पिता श्री जी.एस. व्यास, उम्र लगभग 32 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, बिलासपुर।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, मत्स्य पालन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल

2. संचालक (मत्स्य पालन) मत्स्य पालन विभाग, विंध्याचल भवन, भूतल, भोपाल।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण राजनांदगांव, द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर, राजनांदगांव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण दुर्ग, द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर, दुर्ग।

5. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण बिलासपुर, द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर, बिलासपुर।

6. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण रायपुर, द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर, रायपुर।

7. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण शहडोल, द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर, शहडोल।

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री यू.एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री एम.के. सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 03/2006

1. श्री पूरन सिंह पटेल पिता श्री के.एल. पटेल, आयु लगभग 32 वर्ष, मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (एफ.एफ.डी.ए.), रायपुर, निवासी: श्री एच.एस. पटेल का घर, गंगानगर कॉलोनी, गढ़ा, जबलपुर।

2. श्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव पिता श्री एन.बी. श्रीवास्तव, आयु लगभग 32 वर्ष, मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता (एफईडब्ल्यू) एफएफडी रायपुर, 22 तारकेश्वरी कॉलोनी, गेस्ट हाउस के पास, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)।

3. श्री अनिल कुमार हजारी पिता श्री बी.पी. हजारी, आयु लगभग 34 वर्ष, एफईडब्ल्यू, एफ.एफ.डी.ए., रायपुर, निवासी: ग्राम व पोस्ट रेहली, ब्लॉक कसडोल, जिला रायपुर।

4. श्री के.एल. जायसवाल पिता श्री एस.आर. जायसवाल, आयु लगभग 33 वर्ष, एफईडब्ल्यू, एफ.एफ.डी.ए., रायपुर, निवासी: ग्राम व पोस्ट सेल, जिला सागर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. श्री आर.जी. बोहरे पिता श्री जे.पी. बोहरे उम्र लगभग 32 वर्ष, एफईडब्ल्यू, एफ.एफ.डी.ए., रायपुर निवासी 213 किसानी वार्ड, नरसिंगपुर।

6. श्री एच.एस. कर पिता श्री डी.एन. कर उम्र लगभग 34 वर्ष, एफईडब्ल्यू, एफ.एफ.डी.ए. रायपुर निवासी 8/293 बायरन बाजार, रायपुर।

7. श्री एस.एस. परिहार पिता श्री आर.जी.एस. परिहार उम्र लगभग 32 वर्ष, एफ.ई.डब्लू., एफ.एफ.डी.ए., रायपुर, निवासी ग्राम कचनार पोस्ट गिंजरा तहसील नागौद जिला सतना।

8. श्री जी.के. उपाध्याय पिता श्री गोपाल कृष्ण उपाध्याय उम्र लगभग 33 वर्ष, एफ.एफ.डी.ए., रायपुर निवासी प्रकाश भवन, योगीपुरा, उज्जैन।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, मत्स्य पालन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल

2. संचालक (मत्स्य पालन), विंध्याचल भवन, म.प्र. भोपाल।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण रायपुर, द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री यू.एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री एम.के. सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7392005

विवेक वैद्य, पिता दिनेश चंद्र वैद्य, 34 वर्ष, व्यवसाय-मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, निवासी-मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग, विकासखंड पाटन।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, मत्स्य पालन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल

2. संचालक (मत्स्य पालन) मत्स्य पालन विभाग, भोपाल।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण दुर्ग, द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर, दुर्ग।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री यू.एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री एम.के. सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 809/2005

1. बी.आर. मेश्राम पिता श्री तेजराम मेश्राम, व्यवसायः मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, निवासी/मछली कृषक विकास अभिकरण, दांडी, जिला दुर्ग।

2. ए.के. कनेरिया पिता श्री बी.आर. कनेरिया, व्यवसायः मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग।

3. सलीम अहमद खान पिता श्री बजीर खान व्यवसायः मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग।

4. जी.पी. देशमुख पिता श्री बी.एल. देशमुख व्यवसायः मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, साजा, दुर्ग।

5. गुलाब चंद्र विंद पिता श्री रामानंद विंद व्यवसाय: मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, बालोद, जिला दुर्ग।

6. प्रीत बहादुर शर्मा, पिता- मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, बालोद, जिला दुर्ग।

7. श्रीकांत देवांगन, पिता- श्री शिया राम देवांगन, व्यवसाय- मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग।

8. चंद्र प्रकाश शर्मा, पिता- मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, व्यवसाय- मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग।

9. नेगम सिंह भदौरिया, व्यवसाय- मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, जामगांव (आर) पाटन, जिला दुर्ग।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, मत्स्य पालन विभाग, भोपाल।

2. संचालक, मत्स्य पालन विभाग, भूतल, भोपाल।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण रायपुर, द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थित:

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री एन.के. व्यास, अधिवक्ता सहित श्री सत्येंद्र साहू, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1762/2005

श्री कौशलेन्द्र मिश्रा पिता डॉ. डी. मिश्रा, उम्र लगभग 38 वर्ष, मत्स्य विस्तार अधिकारी, कार्यालय मछली कृषक विकास अभिकरण, 38/सेक्टर II, गीतांजलि नगर, रायपुर, निवासी- प्राचार्य बंगला, आयुर्वेदिक कॉलेज, रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. सचिव, मत्स्य पालन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. संचालक मत्स्य पालन मप्र, विंध्याचल भवन, भोपाल।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री यू.एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री एम.के. सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2075/2005

1. दीपक कुमार श्रीवास्तव, आयु लगभग 40 वर्ष, पिता श्री एस.के. श्रीवास्तव, मत्स्य निरीक्षक, आयुक्त बंगले के पीछे निवास, बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)।

2. सुरेश बाबू पचौरी, पिता श्री बी.पी. पचौरी, आयु लगभग 41 वर्ष, मत्स्य निरीक्षक, निवासी सूरज मुखी, 59 के सामने, राज किशोर नगर, बिलासपुर, मध्य प्रदेश।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, मत्स्य पालन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल

2. संचालक (मत्स्य पालन) मत्स्य पालन विभाग, विंध्याचल भवन, भूतल, भोपाल।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण बिलासपुर, द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री विनय पांडे, अधिवक्ता सहित श्री सत्येंद्र साहू, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1717/2005

1. हरि बाबू अहिरवार, उम्र लगभग 46 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद, मत्स्य निरीक्षक, सकरी क्षेत्र, विकासखंड तखतपुर, जिला बिलासपुर, निवासी डी-6 प्रियदर्शनी नगर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

2. अरविंद सिरोटिया, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता श्री चतुर्भुज प्रसाद, मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय डी.डी.एफ., बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

3. ब्रम्ह प्रकाश बाजपेई, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता श्री महेंद्र दत्त, कार्यालय डी.डी.एफ., बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

4. आर.एन. मिश्रा, उम्र लगभग 46 वर्ष, पिता श्री राम कुमार मिश्रा, मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, कार्यालय डी.डी.एफ., जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)।

5. नैन शाह, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता श्री मोहन लाल, मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, कार्यालय डी.डी.एफ., बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

6. जेड.यू. खान, उम्र लगभग 44 वर्ष, पिता श्री एच.खान, मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता, कार्यालय ए.डी.एफ., बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

7. बी.यू. काजी, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता श्री एच.यू. काजी, मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय ए.डी.एफ., जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. भारत संघ, द्वारा सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा कार्यवाहक सचिव, मत्स्य पालन विभाग, मध्य प्रदेश, वल्लभ भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

3. संचालक (मत्स्य पालन) मध्य प्रदेश राज्य, सतपुड़ा भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

4. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, मत्स्य पालन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

5. संचालक (मत्स्य पालन), छत्तीसगढ़ राज्य, तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री के.ए. अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्रीमती मीरा अंसारी और श्री एस.आई. अली, अधिवक्तागण।

भारत संघ/उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से : श्री एस.के. बेरीवाल, स्थायी अधिवक्ता श्री अजय बारिक, अधिवक्ता।

के ,

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6092/2006

1. श्री पूरन सिंह पटेल, पिता के.एल. पटेल, उम्र लगभग 45 वर्ष, मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय संयुक्त संचालक, मत्स्य पालन, जिला रायपुर, निवासी- एस.एम. 2, शिव मंदिर लेन, अवंतिविहार, रायपुर।

2. श्री वी.पी. गोस्वामी, पिता श्री बलराम पुरी गोस्वामी, उम्र लगभग 49 वर्ष, मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय संयुक्त संचालक, मत्स्य पालन, रायपुर।

3. श्री जी.के. उपाध्याय, पिता श्री गोपाल कृष्ण उपाध्याय, उम्र लगभग 47 वर्ष, कार्यालय मत्स्य संचालक, छत्तीसगढ़ रायपुर, निवासी 43/912 श्यामनगर स्कूल के पीछे, श्यामनगर, रायपुर।

4. श्री राम गोपाल बोहरे पिता श्री जगदीश प्रसाद बोहरे, उम्र लगभग 46 वर्ष, मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय संयुक्त संचालक, मत्स्य पालन, रायपुर,

निवासी 882, पहाड़ी तालाब के पास, सुंदर नगर, "प्रगति चौक" रायपुर।

5. श्री के.एल. जायसवाल पिता श्री सहसराम जायसवाल, उम्र लगभग 46 वर्ष, प्रोफेसर कॉलोनी, पुरानी बस्ती के पीछे, रायपुर।

6. श्री वीरेंद्र सिंह जादौन पिता श्री रामसिंह जादौन, उम्र लगभग 49 वर्ष, कार्यालय उप संचालक मत्स्य पालन, बिलासपुर, निवासी फ्लैट क्रमांक 702, ग्रीन गार्डन कॉलोनी, मिनोचा कॉलोनी के सामने, बिलासपुर।

7. श्री उल्फती पवन पिता श्री कंचन पवन, उम्र लगभग 47 वर्ष, कार्यालय संयुक्त संचालक, मत्स्य पालन, जिला रायपुर, निवासी एस.एम. 2, द्वारा पी.एस. पटेल, शिव मंदिर लेन, अवंतिविहार, रायपुर।

8. श्री अनिल कुमार हजारी पिता श्री बद्री प्रसाद हजारी, उम्र लगभग 47 वर्ष, कार्यालय सहायक संचालक मत्स्य पालन, धमतरी, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव कृषि (मत्स्य पालन), सचिवालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर।

2. संचालक, मत्स्य पालन छत्तीसगढ़, रायपुर।

3. श्री के.के. मोइत्रा, पिता स्वर्गीय बी.पी. मोइत्रा, उम्र लगभग 56 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ. द्वारा उपसंचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., जिला बिलासपुर।

4. श्री राजेंद्र कुमार बंजारे, पिता श्री एम.पी. बंजारे, उम्र लगभग 45 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ. द्वारा उपसंचालक मत्स्य पालन संचालक/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

5. श्री उमेश्वर सिंह पिता श्री श्याम बहादुर सिंह, उम्र लगभग 49 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ. द्वारा सहायक संचालक मत्स्य पालन, जिला बैकुंठपुर (कोरिया), छत्तीसगढ़।

6. श्री राजेश कुमार पाणिग्रही पिता श्री एस.एन. पाणिग्रही, उम्र लगभग 44 वर्ष, ए.एफ.ओ/एफ.ई.ओ. द्वारा उपसंचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., जिला जगदलपुर।

7. श्री ओ.पी. मेहरा पिता श्री खुमान सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय संचालक मत्स्य पालन, छत्तीसगढ़, रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री मोहन लाल चन्द्राकर पिता स्व.शारदा प्रसाद, उम्र लगभग 48 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ. द्वारा सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., रायपुर।

9. श्री सुखरंजन मुखर्जी पिता स्वर्गीय जी.सी. मुखर्जी, उम्र लगभग 47 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ. द्वारा उपसंचालक मत्स्य पालन संचालक/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., जिला जगदलपुर (छत्तीसगढ़)।

10. श्री यवन कुमार डिंडोरे पिता श्री बी.सी. डिंडोर, उम्र लगभग 45 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ., द्वारा उपसंचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

11. श्री येनेंद्र कुमार दिल्लीवार, पिता श्री हेमन लाल, आयु लगभग 46 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ., द्वारा उपसंचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

12. श्री एच.जी. मेहरा, पिता श्री के.एल. मेहरा, आयु लगभग 46 वर्ष, मत्स्य निरीक्षक, द्वारा संयुक्त संचालक मत्स्य पालन, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

13. श्री एस.के. दिवेदी, पिता श्री एस.एम. दिवेदी, आयु लगभग 47 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ., द्वारा सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)।

14. श्री रामानंद कौशिक, पिता श्री बाबूलाल कौशिक, आयु लगभग 49 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ., द्वारा उपसंचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. श्री अजय कुमार गुप्ता, पिता श्री आनंदी लाल गुप्ता, आयु लगभग 42 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ., द्वारा संयुक्त संचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

16. श्री पवन कुमार दुबे पिता श्री देव नारायण, उम्र लगभग 50 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ, द्वारा संयुक्त संचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए.। जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

17. श्री आर.एस. साहू पिता श्री रामलाल साहू, उम्र लगभग 45 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ, द्वारा संयुक्त संचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

18. श्री ए.के. चंद्राकर पिता श्री आसन लाल, उम्र लगभग 46 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ, द्वारा सहायक संचालक मत्स्य पालन/सीईएफ एफ.एफ.डी.ए., जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

19. श्री संजय पांधी पिता श्री आनंद प्रसाद पांधी, आयु लगभग 44 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ., द्वारा सहायक मत्स्य संचालक, जिला दंतेवाड़ा।

20. श्री जे.पी. शर्मा पिता श्री कृष्ण प्रसाद, आयु लगभग 49 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ., द्वारा संयुक्त संचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., रायपुर (छत्तीसगढ़)।

21. श्री भुवन लाल वर्मा, पिता श्री प्रेमलाल वर्मा, उम्र लगभग 46 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ., उप संचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

22. श्री रमेश कुमार महंत पिता श्री एस.डी. महंत, उम्र लगभग 49 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ., उप संचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. बृज भूषण पांडे पिता स्वर्गीय लखन राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, ए.एफ.ओ./एफ.ई.ओ., सहायक संचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., जिला कोंडागांव (छत्तीसगढ़)।

24. श्री सुभाष हुंका पिता श्री नाथूलाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, मत्स्य निरीक्षक, सहायक संचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ., एफ.एफ.डी.ए., राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)।

25. श्री राजेंद्र सिंह पिता श्री रमाकांत, उम्र लगभग 44 वर्ष, निरीक्षक/एफ.ई.डब्ल्यू. उप संचालक मत्स्य पालन/सी.ई.ओ. एफ.एफ.डी.ए., दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

26. श्री आर.पी. वर्मा पिता श्री शिव सिंह वर्मा, उम्र लगभग 48 वर्ष, मत्स्य निरीक्षक, संयुक्त संचालक मत्स्य पालन, जिला रायपुर।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री यू.एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री एम.के. सिन्हा, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 7, 12, 14की ओर से : श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

15, 20 और 23

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6093/2006

1. श्री कौशलेन्द्र मिश्रा, पिता डॉ. दिनेश्वर शर्मा, आयु लगभग 45 वर्ष, सहायक मत्स्य अधिकारी, कार्यालय संयुक्त संचालक मत्स्य पालन, जिला रायपुर, एम.आई.जी. 26, सेक्टर-3, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर।

2. श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल, पिता स्वर्गीय काशीराम अग्रवाल, आयु लगभग 47 वर्ष, सहायक मत्स्य अधिकारी, कार्यालय संयुक्त संचालक मत्स्य पालन, जिला रायपुर, मकान क्रमांक 463, ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान के पास, सेक्टर-2, अवंति विहार, तेली-बांधा, रवि ग्राम, रायपुर।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि (मत्स्य) विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक, मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।

3. श्री सरोज कुमार चौधरी, पिता डॉ. ए.पी. चौधरी, आयु लगभग 50 वर्ष, सहायक मत्स्य अधिकारी, द्वारा सहायक संचालक मत्स्य पालन, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

4. श्री राजेंद्र कुमार सिंह, पिता श्री टी.एन. सिंह, आयु लगभग 46 वर्ष, द्वारा उप संचालक मत्स्य पालन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. श्री असलम खान, पिता श्री अहमद खान, आयु लगभग 48 वर्ष, द्वारा संचालक मत्स्य पालन, जिला अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)।

6. श्री दिनेश कुमार ज़रदार, आयु लगभग 47 वर्ष, द्वारा उप संचालक मत्स्य पालन, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

7. श्री बृज किशोर पालीवाल, पिता श्री एच.सी. पालीवार, आयु लगभग 48 वर्ष (मध्य प्रदेश में कार्यरत छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित), द्वारा उप संचालक मत्स्य पालन, मध्य प्रदेश, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

8. श्री वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, आयु लगभग 49 वर्ष (मध्य प्रदेश में कार्यरत छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित), द्वारा उप संचालक मत्स्य पालन, मध्य प्रदेश, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

9. श्री किंकर प्रसाद चौधरी, पिता श्री मुरलीधर चौधरी, आयु लगभग 47 वर्ष, द्वारा उप संचालक मत्स्य पालन, जिला जांजगीर (छत्तीसगढ़)।

10. श्री अब्दुल महमूद खान, पिता श्री अब्दुल खान, आयु लगभग 46 वर्ष, द्वारा उप संचालक मत्स्य पालन, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

11. श्री उमेश चंद भाटी पिता बालमुकुंद, आयु लगभग 47 वर्ष, (मध्य प्रदेश में कार्यरत छत्तीसगढ़ कैडर आबंटित), द्वारा उप संचालक मत्स्य पालन, मध्य प्रदेश, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

12. श्री शंकर प्रसाद चौरसिया पिता श्री छोटेलाल, आयु लगभग 44 वर्ष, द्वारा उप संचालक मत्स्य पालन, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री यू.एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री एम.के. सिन्हा, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 3, 4, 5, की ओर से : श्री किशोर भादुड़ी, अधिवक्ता।
6, 9, 10 और 12

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1415/2007

ए.के. कनेरिया, पिता श्री बी.आर. कनेरिया, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी एम.आई.जी. 1/14, आदित्य नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि (मत्स्य पालन) विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक, मत्स्य पालन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग, द्वारा अध्यक्ष, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री एन.के. व्यास, अधिवक्ता सहित श्री सत्येंद्र साहू, अधिवक्ता सहित।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 3 की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

हस्तक्षेपकर्ताकी ओर से : श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1894/2007

वी.के. वैद्य, पिता श्री दिनेश चंद्र वैद्य, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी आदित्य नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि (मत्स्य पालन) विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक, मत्स्य पालन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग, द्वारा अध्यक्ष, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री एन.के. व्यास, अधिवक्ता सहित श्री सत्येंद्र साहू, अधिवक्ता सहित।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 3 की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

हस्तक्षेपकर्ताकी ओर से : श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1895/2007

बी.आर. मेश्राम, पिता श्री टी.आर. मेश्राम, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी हटरी बाजार, पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि (मत्स्य पालन) विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक, संचालनालय मत्स्य पालन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग, द्वारा अध्यक्ष, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री एन.के. व्यास, अधिवक्ता सहित श्री सत्येंद्र साहू, अधिवक्ता सहित।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 3 की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

हस्तक्षेपकर्ताकी ओर से : श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1897/2007

सलीम खान पिता नजीर खान, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी पुराना बस स्टैंड बालोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि (मत्स्य पालन) विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक, संचालनालय मत्स्य पालन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग, द्वारा अध्यक्ष, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री एन.के. व्यास, अधिवक्ता सहित श्री सत्येंद्र साहू, अधिवक्ता सहित।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 3 की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

हस्तक्षेपकर्ताकी ओर से : श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1900/2007

श्रीकांत देवांगन, पिता स्वर्गीय श्री के.के. देवांगन, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि (मत्स्य पालन) विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक, संचालनालय मत्स्य पालन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग, द्वारा अध्यक्ष, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री एन.के. व्यास, अधिवक्ता सहित श्री सत्येंद्र साहू, अधिवक्ता सहित।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 3 की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

हस्तक्षेपकर्ताकी ओर से : श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1950/2007

जी.पी. देशमुख, पिता श्री बी.एस. देशमुख, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी नया आमापारा (मोहन नगर), दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि (मत्स्य पालन) विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक, संचालनालय मत्स्य पालन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग, द्वारा अध्यक्ष, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री एन.के. व्यास, अधिवक्ता सहित श्री सत्येंद्र साहू, अधिवक्ता सहित।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 3 की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

हस्तक्षेपकर्ताकी ओर से : श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3461/2007

अनिल कुमार तिवारी, पिता श्री गया प्रसाद तिवारी, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 236/19, गायत्री कॉलोनी, कमला कॉलेज रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि (मत्स्य पालन) विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. संचालक, संचालनालय मत्स्य पालन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, दुर्ग, द्वारा अध्यक्ष, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादीगण

उपस्थितः

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री एन.के. व्यास, अधिवक्ता सहित श्री सत्येंद्र साहू, अधिवक्ता सहित।

राज्य की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्रमांक 3 की ओर से : श्री अजय द्विवेदी, अधिवक्ता।

हस्तक्षेपकर्ताकी ओर से : श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दिनांक4 अगस्त, 2008 को पारित)

1) इस मामले में एक सामान्य विधि प्रश्न शामिल है कि क्या याचिकाकर्तागण शासकीय कर्मचारी हैं और क्या वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदोन्नति और वेतनमान सहित वरिष्ठता के हकदार हैं।

2) संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि दिनांक 24-05-1982 को (रिट याचिका क्रमांक 6092/2006 का अनुलग्नक-पी/3) नव भारत, रायपुर में संचालक,

संचालनालय मत्स्य विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें मत्स्य विस्तार कार्यकर्ताओं/मत्स्य निरीक्षकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्तागण ने अन्य लोगों के साथ आवेदन किया। उन्हें 10 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर भेजा गया था। प्रशिक्षण के दौरान याचिकाकर्तागण ने मध्य प्रदेश के मत्स्य सेवा के संचालक के माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ एक अनुबंध किया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सफल उम्मीदवारों की एक सूची संचालक, संचालनालय मत्स्य विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 07-10-1983 और दिनांक 05-08-1984 को (रिट याचिका क्रमांक 6092/2006 के अनुलग्नक-पी/5 और पी/6) प्रकाशित की गई थी। कुछ उम्मीदवारों को शासकीय विभाग में मत्स्य निरीक्षक (संक्षेप में "एफ.एल.एस.") के पद पर नियुक्त किया गया। याचिकाकर्तागण के नाम मत्स्य पालन विस्तार कार्यकर्ताओं (संक्षेप में "एफ. ई. डब्लू.") के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 25-10-1983, दिनांक 12-06-1984 और दिनांक 05-07-1984 के आदेशों (रिट याचिका क्रमांक 6092/2006 के अनुलग्नक-पी/8, पी/9 और पी/10) के द्वारा मत्स्य पालन विकास अभिकरण (संक्षेप में "एफ.एफ.डी.ए.") को भेजे गए थे। इसमें कहा गया था कि एफ.एफ.डी.ए. नियुक्ति आदेश पारित कर सकते हैं और तदनुसार मत्स्य संचालनालय को सूचित कर सकते हैं। आदेश में उल्लेख किया गया था कि उनकी वरिष्ठता आदेश में दर्शाई गई नामों की सूची के अनुसार ही बरकरार रखी जाएगी। तदनुसार याचिकाकर्तागण को एफ.एफ.डी.ए. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा दिनांक 20-6-1984 के आदेश और अन्य आदेशों के द्वारा नियुक्त किया गया। इन नियुक्ति आदेशों में से एक की प्रति रिट याचिका क्रमांक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1717/2005 में अनुलग्नक-पी/12 के रूप में संलग्न है। इसके बाद, याचिकाकर्तागण उसी पद पर काम करते रहे।

3) राज्य सरकार ने दिनांक 11-05-2006 (रिट याचिका क्रमांक 6092/2006 के अनुलग्नक-पी/1) को, दिनांक 22-3-2005 के प्रस्ताव के आधार पर, शासकीय विभाग में एफ.एफ.डी.ए. में कार्यरत याचिकाकर्तागण की सेवाओं को इस शर्त के साथ संविलयन करने का निर्णय लिया कि कर्मचारियों का वेतनमान नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, लेकिन इसका भुगतान संविलयन की तिथि से किया जाएगा, कर्मचारी वेतन के बकाया के हकदार नहीं होंगे, पेंशन संबंधी लाभों की गणना नियुक्ति की तिथि से की जाएगी और उनकी वरिष्ठता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (संक्षेप में "नियम, 1961") के प्रावधानों के अंतर्गत संविलयन किए गए कर्मचारियों को संविलयन की तिथि से शासकीय कर्मचारी मानते हुए निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद, उनकी वरिष्ठता निर्धारित की गई और दिनांक 16-05-2006 को एक सूची प्रकाशित की गई (रिट याचिका क्रमांक 1895/2007 के अनुलग्नक-पी/2)। व्यथित होकर याचिकाकर्तागण ने यह याचिकाएं प्रस्तुत की हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 224/2005</u>**: यह याचिका एफ.एफ.डी.ए. के मत्स्य विस्तार अधिकारियों अनिल कुमार तिवारी, संजय लांजेवार, एन.डी. त्रिपाठी, वी.के. शुक्ला, कौशलेंद्र मिश्रा, यू.एस. तोमर, डी.पी. भार्गव, जी.पी. अग्रवाल, वी.डी. पटेल, देवेंद्र श्रीवास्तव और पी.के. व्यास द्वारा मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में "सैट"), जबलपुर स्थित मुख्य पीठ के समक्ष, ओ.ए. क्रमांक 222/1990 प्रस्तुत की गई है, जिसमें राज्य सरकार के मत्स्य विभाग में सहायक मत्स्य अधिकारियों के संवर्ग में याचिकाकर्तागण की सेवाओं को सरकार में कार्यरत मत्स्य विस्तार

अधिकारियों और सहायक मत्स्य अधिकारियों की सम्यक वरिष्ठता और वेतनमान के साथ नियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सैट के विघटन होने के पश्चात यह याचिका उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई एवं उपरोक्त वर्णित अनुसार प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

5) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3/2006</u>**: यह याचिका मत्स्य पालन एफ.एफ.डी.ए. के विस्तार कर्मचारियों, अर्थात् पूरन सिंह पटेल, राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार हजारी, के.एल. जायसवाल, आर.जी. बोहरे, एच.एस. कर, एस.एस. परिहार और जी.के. उपाध्याय द्वारा जबलपुर स्थित सैट की मुख्य पीठ के समक्ष ओ.ए. क्रमांक 794/1993 प्रस्तुत की गई है, जिसमें ऊपर वर्णित अनुसार अनुतोष की मांग की गई। इसके अलावा, उन्होंने उत्तरवादियों को एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश देने की मांग की और उत्तरवादियों को आक्षेपित वरिष्ठता सूची के आधार पर किसी को भी पदोन्नत करने से रोकने की भी मांग की। सैट के विघटन पर यह याचिका उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई और इसे ऊपर दिए अनुसार प्रकरण क्रमांक के रूप में दर्ज किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 739/2005</u>**: यह याचिका एफ.एफ.डी.ए. के मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता विवेक वैद्य द्वारा सैट, जबलपुर की मुख्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसका ओ.ए. क्रमांक 848/1993 है, तथा इसमें ऊपर बताई गई अनुतोष की मांग की गई है। सैट के विघटन होने के पश्चात इस याचिका को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, और इसे ऊपर बताए अनुसार प्रकरण क्रमांक के रूप में दर्ज किया गया।

7) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 809/2005</u>**: यह याचिका एफ.एफ.डी.ए. के मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता बी.आर. मेश्राम, ए.के. कनेरिया, सलीम अहमद खान, जी.पी. देशमुख, गुलाब चंद्र विंद, प्रीत बहादुर शर्मा, श्रीकांत देवांगन,

चंद्र प्रकाश शर्मा और नेगम सिंह भदौरिया द्वारा सैट, जबलपुर की मुख्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसका ओ.ए. क्रमांक 2763/1993 है। यह याचिका सैट के विघटन होने के पश्चात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई, तथा इसे ऊपर बताए अनुसार प्रकरण क्रमांक के रूप में दर्ज किया गया।

8) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1762/2005</u>**: यह याचिका मत्स्य पालन विकास प्राधिकरण (एफ.एफ.डी.ए.) के मत्स्य विस्तार अधिकारी कौशलेंद्र मिश्रा द्वारा जबलपुर स्थित सैट की मुख्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसका ओ.ए. क्रमांक 3372/1998 है। इसमें उत्तरवादियों को याचिकाकर्तागण की नियुक्ति करने और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रकाशित तुलनात्मक चार्ट के अनुसार वरिष्ठता प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सैट के विघटन होने के पश्चात यह याचिका उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई और इसे ऊपर बताए अनुसार प्रकरण क्रमांक के रूप में दर्ज किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2075/2005</u>**: यह याचिका मत्स्य पालन एफ.एफ.डी.ए. के निरीक्षक दीपक कुमार श्रीवास्तव और सुरेश बाबू पचौरी द्वारा जबलपुर स्थित सैट की मुख्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसका ओ.ए. क्रमांक 4827/2000 है। इसमें उत्तरवादियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे याचिकाकर्तागण को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से मत्स्य निरीक्षक के रूप में मानें और उन्हें वरिष्ठता, वेतन आदि सहित सभी सेवा लाभ प्रदान करें। सैट के विघटन होने के पश्चात यह याचिका उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई और इसे ऊपर बताए अनुसार प्रकरण क्रमांक के रूप में दर्ज किया गया।

10) **<u>रिट याचिका क्रमांक 1717/2005</u>**: यह याचिका मत्स्य पालन विस्तार कार्यकर्ताओं और मत्स्य निरीक्षकों, अर्थात् हरि बाबू अहिरवार, अरविंद सिरोटिया, ब्रह्म प्रकाश बाजपेयी, आर.एन. मिश्रा, नैन शाह, जेड.यू. खान और बी.यू. काजी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसमें उत्तरवादियों को प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद एफ.एफ.डी.ए. में नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से याचिकाकर्तागण को शासकीय कर्मचारी मानने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्तागण को प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से समय-समय पर संशोधित वित्तीय संस्थानों के वेतनमान का लाभ प्रदान करने और उसके परिणामस्वरूप क्रमोन्नति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्तागण ने दिनांक14-06-2000 (अनुलग्नक-पी/26) और (अनुलग्नक-पी/27) के आदेशों को अभिखंडित करने के लिए भी एक रिट जारी करने की मांग की, जिसके द्वारा एफ.एफ.डी.ए. के कुछ कर्मचारियों को कुछ नियमों और शर्तों के साथ और एफ.एफ.डी.ए. के अंतर्गत शासकीय विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था एवं प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता के साथ-साथ याचिकाकर्तागण को परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6092/2006</u>**: यह याचिका मत्स्य निरीक्षकों अर्थात् पूरन सिंह पटेल, वी.पी. गोस्वामी, जी.के. उपाध्याय, राम गोपाल बोहरे, के.एल. जयवाल, वीरेंद्र सिंह जादौन, उल्फती पवन और अनिल कुमार हजारी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक11-05-2006 (अनुलग्नक-पी/1) और दिनांक 16-05-2006 (अनुलग्नक-पी/2) के आदेशों के कुछ भागों को संविलयन की तिथि से वरिष्ठता प्रदान करने और संविलयन की तिथि से वेतनमान सहित वित्तीय लाभ प्रदान करने की सीमा तक अभिखंडित करने के लिए रिट जारी करने की मांग की गई है।

12) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6093/2006</u>**: यह याचिका सहायक मत्स्य अधिकारी अर्थात् कौशलेंद्र मिश्रा और गणेश प्रसाद अग्रवाल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6092/2006 में चाही गई अनुतोष के समान ही की अनुतोष की मांग की गई है।

13) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1415/2007</u>**: यह याचिका ए. के. कनेरिया द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6092/2006 में चाही गई अनुतोष के समान ही की अनुतोष की मांग की गई है और अभ्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु उत्तरवादियों को निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने की भी मांग की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1894/2007</u>**: यह याचिका वी.के. वैद्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6092/2006 में चाही गई अनुतोष के समान ही की अनुतोष की मांग की गई है और इसके अलावा, अभ्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु उत्तरवादियों को निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने की भी मांग की गई है।

15) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1895/2007</u>**: यह याचिका बी.आर. मेश्राम द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6092/2006 में चाही गई अनुतोष के समान ही की अनुतोष की मांग की गई है और इसके अलावा, अभ्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु उत्तरवादियों को निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने की भी मांग की गई है।

16) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1897/2007</u>**: यह याचिका सलीम खान द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6092/2006 में चाही गई अनुतोष के समान ही की अनुतोष की

मांग की गई है और इसके अलावा, अभ्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु उत्तरवादियों को निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने की भी मांग की गई है।

17) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1900/200</u>**7: यह याचिका श्रीकांत देवांगन द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6092/2006 में चाही गई अनुतोष के समान ही की अनुतोष की मांग की गई है और इसके अलावा, अभ्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु उत्तरवादियों को निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने की भी मांग की गई है।

18) **रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1950/2007**: यह याचिका जी.पी. देशमुख द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6092/2006 में चाही गई अनुतोष के समान ही की अनुतोष की मांग की गई है और इसके अलावा, अभ्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु उत्तरवादियों को निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने की भी मांग की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19) **<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3461/2007</u>**: यह याचिका अनिल कुमार तिवारी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6092/2006 में चाही गई अनुतोष के समान ही की अनुतोष की मांग की गई है और इसके अलावा, अभ्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु उत्तरवादियों को निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने की भी मांग की गई है।

20) श्री यू.एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री के.ए. अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विनय पांडे, श्रीमती मीरा अंसारी, श्री एन.के. व्यास, श्री एम.के. सिन्हा और श्री सत्येंद्र साहू, संबंधित याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान

अधिवक्ताओं ने तर्क किया कि याचिकाकर्तागण की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी और उन्हें मत्स्य पालन विकास प्राधिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, क्योंकि मत्स्य पालन विकास प्राधिकरणों में सीधे नियमित नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था। शासकीय कर्मचारियों को मत्स्य पालन विकास प्राधिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का प्रावधान है। राज्य सरकार में समकक्ष प्रशिक्षित उम्मीदवारों जिन्हें मत्स्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था को वेतन और पदोन्नति के लाभों से वंचित करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुचित है। वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी याचिकाकर्तागण को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से सेवा लाभ और वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की थी, लेकिन विधि विभाग की विपरीत राय के कारण दिनांक 11-05-2006 (अनुलग्नक-पी/1) का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया और याचिकाकर्तागण के मामलों की पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई। याचिकाकर्तागण ने वर्ष 1990, 1993, 1998 और 2000 में मूल आवेदन/याचिकाएं प्रस्तुत कर अपनी सेवाओं को नियमित करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान व्यवहार करने और पदोन्नति के उद्देश्य से एक ही वरिष्ठता सूचि तैयार करने का दावा किया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि याचिकाकर्तागण शासकीय कर्मचारी होने के नाते मत्स्य निरीक्षकों, जिन्होंने याचिकाकर्तागण के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया था, के समान सभी सेवा लाभों के हकदार हैं और उन्हें शासकीय विभागों में पदस्थ किया गया था और याचिकाकर्तागण को एफ.एफ.डी.ए. में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण साव और विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने इसके विपरीत तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण का मामला यह है कि उन्हें एक समान ही

प्रक्रिया द्वारा प्रशिक्षण के लिए चुना गया था, उन्होंने एक साथ प्रशिक्षण लिया था और उन्हें एक ही योग्यता सूची में रखा गया था और इस तरह, वे मत्स्य विभाग में सहायक मत्स्य अधिकारी के रूप में सेवाओं के नियमितीकरण के हकदार हैं, यह गलत धारणा है। याचिकाकर्तागण को राज्य सरकार द्वारा कभी नियुक्त नहीं किया गया था। उन्होंने सभी नियुक्ति आदेश प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन संबंधित एफ.एफ.डी.ए. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिनांक20-06-1984 को जारी एक नियुक्ति आदेश को रिट याचिका क्रमांक 1717/2005 में अनुलग्नक-पी/12 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि एफ.एफ.डी.ए. में याचिकाकर्तागण की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से हुई गलत है, क्योंकि याचिकाकर्तागण को राज्य सरकार द्वारा कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था। अतः प्रतिनियुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं प्रश्न उठता है। प्रशिक्षण के दौरान मत्स्य विभाग के संचालक के माध्यम से राज्यपाल और याचिकाकर्तागण के बीच हुआ अनुबंध शासकीय विभाग में नियुक्ति के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि इस आशय का था कि यदि याचिकाकर्तागण को राज्य सरकार के अधीन मत्स्य विभाग में नियुक्त किया जाता है, तो याचिकाकर्तागण कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए विभाग में सेवा करेंगे। वर्तमान मामले में मत्स्य विभाग की ओर से याचिकाकर्तागण को शासकीय विभाग में नियुक्त करने का कोई दायित्व नहीं था। याचिकाकर्तागण को एफ.एफ.डी.ए. के लिए बनाए गए विभिन्न उप-विधियों और नियमों की प्रति प्रदान की गई थी। याचिकाकर्तागण का समान वेतन का दावा फिर से अनुचित है, क्योंकि याचिकाकर्तागण अपने स्वयं के उप-विधियों और नियमों द्वारा शासित हैं। याचिकाकर्तागण को शासकीय विभाग में नियुक्त अधिकारियों के साथ वरिष्ठता नहीं दी जा सकती, क्योंकि शासकीय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकारियों की सेवा शर्तें मध्य प्रदेश अराजपत्रित वर्ग-III (कार्यपालिक और अनुसचिवीय) मत्स्य सेवा भर्ती नियम, 1971 (संक्षेप में "नियम, 1971") द्वारा शासित होती हैं। नियम, 1971 का नियम 6 भर्ती की पद्धति का प्रावधान करता है तथा नियम 7 सेवा में नियुक्ति का प्रावधान करता है।

22) इसके बाद यह तर्क दिया गया कि एफ.एफ.डी.ए. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। शासक मंडल में कलेक्टर सहित कुछ शासकीय कर्मचारी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त अभिकरण सरकार का एक विभाग है और याचिकाकर्तागण शासकीय कर्मचारी हैं। याचिकाकर्तागण को कभी भी शासकीय कर्मचारियों के समान वेतनमान और अन्य लाभ नहीं दिए गए। इस प्रकार, एक ही समान वरिष्ठता सूचि बनाने की प्रार्थना को खारिज किया जाए, क्योंकि शासकीय कर्मचारियों और एफ.एफ.डी.ए. के कर्मचारियों की एक ही समान वरिष्ठता सूची नहीं हो सकती है। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कुछ सिफारिशों का अवलंब लिया जाना विधि की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। राज्य सरकार ने कभी भी कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की और न ही उस पर कोई आदेश पारित किया। भेदभाव और मनमानी का आरोप निराधार है, क्योंकि समानता समानों के बीच होनी चाहिए, समानों और असमानों के बीच नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23) श्री अजय बारिक, श्री किशोर भादुड़ी, श्री बी.पी. शर्मा और श्री अजय द्विवेदी, भारत संघ, निजी उत्तरवादियों, शासकीय कर्मचारियों और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागणों ने, उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ही स्वीकार किया । उनका तर्क है कि याचिकाकर्तागण मत्स्य पालन विभाग के संवर्ग में थे। राज्य

सरकार और याचिकाकर्तागण के बीच कभी भी स्वामी-सेवक का संबंध स्थापित नहीं हुआ। कुछ याचिकाकर्तागण ने 6 वर्ष की अवधि के बाद नियुक्ति पर प्रश्न उठाए और शेष याचिकाकर्तागण ने 20 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद अपनी नियुक्ति पर प्रश्न उठाए। यह सुस्थापित है कि यदि कर्मचारी लंबे समय तक अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह रहे हैं, तो वे अधित्यजन और मौन स्वीकृति के सिद्धांत पर किसी भी सहानुभूति या अनुतोष के हकदार नहीं हैं। याचिकाकर्तागण द्वारा अपने मामले को तुरंत न उठाने के कारण, सभी शासकीय कर्मचारियों, अर्थात् निजी उत्तरवादियों की संपूर्ण वरिष्ठता सूची और उसके परिणामस्वरूप पदोन्नति को प्रभावित करने वाली अनुतोष नहीं दी जा सकती। अतः, याचिकाएँ तदनुसार खारिज किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24) मैंने संबंधित पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

25) यह सच है कि याचिकाकर्तागण एफ.एफ.डी.ए. के कर्मचारी हैं और उन्हें शासकीय कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता, भले ही उन्होंने एक साथ प्रशिक्षण लिया हो। याचिकाकर्तागण की नियुक्ति अक्टूबर, 1983, जून, 1984 और जुलाई, 1984 में हुई थी। उन्होंने बिना किसी आपत्ति के नियुक्ति आदेश स्वीकार कर लिए हैं। पहली याचिका 1990 में प्रस्तुत की गई थी जिसमें 6 वर्षों की अवधि के बाद नियमितीकरण और वरिष्ठता का दावा किया गया था। दिनांक11-05-2006 का संविलयन आदेश नीतिगत निर्णय के अनुरूप है। याचिकाकर्तागण का वेतन नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था, लेकिन वित्तीय लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि याचिकाकर्तागण संविलयन की तिथि से वित्तीय लाभ के हकदार हैं। पेंशन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ,

प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से सेवा की संपूर्ण अवधि को ध्यान में रखा जाएगा और उनकी वरिष्ठता को नियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत संविलयन की तिथि से निर्धारित की जाएगी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संविलयन पर आने वाले कर्मचारी संविलयन की तिथि से ही वित्तीय लाभों के हकदार होते हैं, न कि संविलयन की प्रारंभिक तिथि से। यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। इस नीतिगत निर्णय में कोई मनमानी या अनुचितता नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

26) याचिकाकर्तागण का यह तर्क कि वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से लाभ प्रदान करने की सिफ़ारिशें की हैं, सुसंगत नहीं है, क्योंकि बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की गई चर्चा और राय सुसंगत नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सरकार द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय ही सुसंगत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27) सभी याचिकाकर्तागण को दिनांक24-05-1982 के विज्ञापन के अनुसार प्रशिक्षण पर भेजा गया था, जिसमें यह प्रावधान नहीं था कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद याचिकाकर्तागण शासकीय विभाग में नियुक्ति के हकदार होंगे। यह प्रावधान था कि यदि शासकीय विभाग को प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो उन्हें न्यूनतम 5 वर्ष तक सेवा करनी होगी, जो इस प्रकार है:

> "**अनुबंध पत्र**-प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि विभाग को आवश्यकता हो तो पांच वर्ष तक प्रदेश के किसी भी स्थान पर शासकीय सेवा करने के लिए अनुबंध करना होगा। किन्तु शासकीय सेवा में अनिवार्य रूप से लिया ही जावेगा। ऐसे बंधन विभाग पर नही होगा।"

28) इस आशय का एक अनुबंध मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के मत्स्य पालन सेवा संचालक के बीच भी हुआ, जो इस प्रकार है:

> "3. प्रशिक्षण पूरा होने और निर्धारित परीक्षा एवं परीक्षण उत्तीर्ण करने तथा राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर, अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूरा होने और निर्धारित परीक्षा एवं परीक्षण उत्तीर्ण करने के एक वर्ष के भीतर, राज्य सरकार के अधीन मत्स्य पालन विभाग में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा।"

29) प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात, मत्स्य पालन विभाग के संचालक ने दिनांक 25-10-1983 का आदेश और इसी प्रकार के अन्य आदेश पारित किए। यह आदेश इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"संचालनायलय मत्स्योद्योग

मध्यप्रदेश

कमांक /म/स्था/दो/31.02.81/9974 भोपाल दिनांक 25.10.83

आदेश

मत्स्योद्योग प्रशिक्षण संस्थान नौगांव को जन 83 में समाप्त हुए सत्र के उत्तीण निम्नलिखित प्रशिक्षार्थियों के नाम उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मत्स्य कृषक विकास अभिकरण द्वारा मत्स्य पालन प्रसार कार्यकता के पद पर नियुक्ति हेतु सूचित किये जाते है। संबंधित अभिकरण इन उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों के नियुक्ति आदेश प्रसारित करते हुए, संचालनालय को अवगत करावेंगे। भविष्य में इन की वरिष्ठता इसी क्रम में निर्धारित की जा सकेगी।

स.क. नाम एवं पता मत्स्य विकास अभिकरण जिसे नियुक्ति हेतु सौंपा गया।

1. श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव आत्मज — मत्स्य विकास अभिकरण
श्री आर.एल. श्रीवास्तव (टीचर) लोरमी — बिलासपुर
पो. आ. लोरमी जिला बिलासपुर मध्यप्रदेश

2. श्री दीपक श्रीवास्वत आत्मज — मत्स्य विकास अभिकरण
श्री एस.के. श्रीवास्तव राधा स्वामी भवन — बिलासपुर
गोंड़पारा बिलासपुर

3. श्री सलीम अहमद खान आत्मज — मत्स्य विकास अभिकरण
मो. बजीर खान द्वारा श्री शिवनारायण शर्मा
वकील के सामने बालोद जिला दुर्ग

4. श्री दिलीप श्रीवास्वत आत्मज — मत्स्य विकास अभिकरण
श्री सुरेश श्रीवास्तव किलापारा जनाना — राजनांदगांव
हास्पिटल के पीछे राजनांदगांव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. श्री एच.आर. देवांगन आ. — मत्स्य विकास अभिकरण
श्री रामगोपाल पुजारी बेलादुलापारा — रायगढ़
रायगढ़ 495001

6. श्री नैनशाह आत्मज श्री मोहन लाल शाह — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
किलावार्ड पचरीघाट बिलासपुर — शहडोल

7. श्री बी.एल. चौधरी आत्मज — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
श्री मोतीराम चौधरी ग्राम वायंग पो आ — रायगढ़
कछार जिला रायगढ़

8. श्री मुकेश ई राय आत्मज — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
श्री जे. जे. राय ठप निरोडालन कालोनी — रायगढ़

जिला रायगढ़

9. श्री जी.पी. देशमुख आत्मज — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
श्री बी. एल. देशमुख गिसक्नगर — दुर्ग
दुर्ग गली नं. 2 जिला दुर्ग

10. श्री एस.के. दास आत्मज — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
श्री नीरमणी दास पो मोहका पो सिघनपुर — रायपुर
व्हाया सरायपाली जिला रायपुर

11. श्री एस. एल. देवांगन आत्मज — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
श्री लालूराम देवांगन गांधीनगर — रायपुर
(वार्ड लाखेनगर) रायपुर

12. श्री गुलाबचंद विंद आत्मज — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
श्री रामानंद ए.एस.आ. कार्यालय जिला — दुर्ग
परियोजना कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. श्री व्ही.पी. गोस्वामी आत्मज — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
श्री बलराम पुरी गोस्वामी ग्राम चीरवली — रायपुर
पो सोण्डरा बोरगांव जिला रायपुर

14. श्री के. एन. नायक आत्मज — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
श्री कोमल प्रसाद नायक ग्राम बजरमुड़ा — शहडोल
पो आ सराईतोला व्हाया तमनार जिला रायगढ़

15. श्री वाय.आर. पटेल आत्मज — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
श्री रामचरण पटेल ग्राम बामघाट — राजनांदगांव
के दतिया बालाघाट जिला बालाघाट

16. श्री बी.डी. टोण्डे आत्मज — मत्स्य कृषक विकास अभिकरण

श्री चिंता राम टोण्डे ग्राम दाउकाया बिलासपुर

पो आ बिरगांव तहसील मुंगेली जिला बिलासपुर

17. श्री एस.एस. मेरावी आत्मज मत्स्य कृषक विकास अभिकरण

श्री वोदरन सिंह ग्राम मोहगांव पो लुमादेही राजनांदगांव

तहसील बेहर जिला बालाघाट

संचालक मत्स्योद्योग

मध्यप्रदेश"

30) सभी याचिकाकर्तागण ने नियुक्ति आदेश प्रस्तुत नहीं किए हैं। एक नियुक्ति आदेश, जो कि रिट याचिका क्रमांक 1717/2005 में अनुलग्नक-पी/12 के रूप में पाया गया, पर एफ.एफ.डी.ए., बिलासपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर थे। अधिवक्तागणों के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि सभी एफ.एफ.डी.ए. द्वारा समान आदेश पारित किए गए थे। वेतनमान का उल्लेख आदेश में ही किया गया था। बिलासपुर के मामले में, वेतनमान 575-15-800-20-880 था। याचिकाकर्तागण नेकार्यभार ग्रहण किया और मत्स्य विस्तार कार्यकर्ता (एफ.ई.डब्लू.) के रूप में कार्य करना शुरू किया। वर्ष 1990, 1993 और 1998 में प्रस्तुत रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 224/2005, 03/2006, 739/2005, 809/2005 और 1762/2005 में उनकी सेवाओं के नियमितीकरण की प्रार्थना की गई थी और पहली बार वर्ष 2000 में प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 2075/2005 में याचिकाकर्तागण ने उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से मत्स्य निरीक्षक के रूप में मानने की अनुतोष मांगी थी। दिनांक14-06-2000 को (रिट याचिका क्रमांक2075/2005 के अनुलग्नक-ए/16) एफ.एफ.डी.ए., बिलासपुर में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्यरत कुछ मत्स्य विस्तार कार्यकर्ताओं को विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि याचिकाकर्तागण, सरकार के कर्मचारी नहीं थे, बल्कि वे एफ.एफ.डी.ए.एस के कर्मचारी थे। तदनुसार, उन्हें सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। दिनांक 14-06-2000 का आदेश इस प्रकार है:

"आदेश

राज्य स्तरीय स्थानांतरण बोर्ड के अनुमोदन पश्चात मप्र. शासन मछली पालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-1176/1751/99/36 भोपाल, दिनांक 23 जून 99 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार निम्नलिखित मत्स्यपालन प्रसार कार्यकर्ताओं की सेवाएं मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, बिलासपुर से विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेकर उनकी पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख दर्शाए अनुसार की जाती है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क०	नाम	स्थानांतरित स्थान	रिमार्क
1	2	3	4
1.	श्री डी०के० श्रीवास्तव	कार्या० उप संचालक मत्स्योद्योग, बिलासपुर	स्थानीय
2.	श्री नैनशाह	तदैव	---''---
3.	श्री एच०बी० अहिरवार	तदैव	---''---
4.	श्री आर०एस० राजपूत	तदैव	---''---
5.	श्री पी०बी० बाजपेई	तदैव	---''---
6.	श्री ए०एल० मंगरिया	कार्या० उप संचालक प्रशासकीय	

मत्स्योद्योग, जांजगीर

7.	श्री एस०के० सिरोठिया	तदैव	---''---
8.	श्री एच०बी० पचौरी	तदैव	---''---
9.	श्री बी०यू० काजी	तदैव	---''---
10.	श्री जे०यू० खान	तदैव	---''---
11.	श्री आर०एन० मिश्रा	तदैव	---''---
12.	श्री विनय शर्मा	तदैव	---''---

उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी आदेश जारी होने के दिनांक से सात दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से नवीन पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होवें।

संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तत्काल स्थानांतरित कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर संचालनालय को सूचित करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्थानांतरित कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में अपने नवीन पदस्थापना स्थान पर उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है जिसकी सेवा शर्तें पृथक से जारी की जा रही है।

उपरोक्त प्रतिनियुक्ति पर लिये गये कर्मचारियों की सेवाएं अभिकरण की सेवाएं ही रहेंगी, अर्थात शासकीय सेवक के रूप में नही मानी जावेगी।"

31) इसके बाद राज्य सरकार ने मामले पर विचार किया और दिनांक 11-05-2006 के आदेश के अनुसार नीतिगत निर्णय लिया, जो इस प्रकार है:

"अविभाजित म.प्र. में म.प्र. अराजपत्रित वर्ग-3 (कार्यपालन तथा लिपिक) मत्स्योद्योग सेवा भर्ती नियम 1971 के अंतर्गत चयनित, प्रशिक्षित एवं संचालनालय मत्स्योद्योग के विभिन्न आदेशों द्वारा अभिकरणों को नियुक्ति हेतु सूचित एवं अभिकरण में पदस्थ संलग्न सूचि में अंकित 05 मत्स्य पालन प्रसार अधिकारी / सहायक मत्स्य अधिकारी एवं 52 पालन प्रसार कार्यकर्ता /

मत्स्य निरीक्षक को राज्य शासन एतद् द्वारा मछली पालन विभाग में (संचालक मत्स्योद्योग के अधीन) निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत संविलियन करता है-

1. उक्त कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से विभागीय कर्मचारी मानते हुए वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त होगा किन्तु संविलियन तिथि तक किसी प्रकार के एरियर की पात्रता नही होगी। आर्थिक लाभ संविलियन तिथि से प्रदाय किया जावेगा।

2. संविलियत कर्मचारियों के पेंशन लाभ हेतु नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना की जावेगी।

3. संविलियत कर्मचारियों को संविलियन दिनांक शासकीय सेवक मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत संवर्ग में वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32) परिणामस्वरूप, दिनांक 11-05-2006 से प्रभावशील होने वाले तदनुसार वरिष्ठता सूची को दिनांक16-05-2006 को जारी की गई। याचिकाकर्तागण को 3500-80-4700-5200 रुपये का संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया।

33) याचिकाकर्तागण का यह तर्क कि दिनांक 25-10-1983, 12-06-1984 और 05-07-1984 के आदेश संचालक, मत्स्य द्वारा पारित नियुक्ति आदेश हैं, कायम रखे जाने योग्य नहीं है। यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि नियुक्ति आदेश संबंधित एफ.एफ.डी.ए. द्वारा जारी किया जा सकता है। एफ.एफ.डी.ए., राजनांदगांव ने अनिल कुमार को उत्पादन विशेषज्ञ (प्रशिक्षण) शाखा के पद पर 740-15-800-20-900-25-1000-30-1180 रुपये के वेतनमान पर

नियुक्त किया। दिनांक 17-01-1984 के आदेश द्वारा एस.के. त्यागी को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और मत्स्य पालन विभाग के संचालक द्वारा आदेश पारित किया गया था, जो इस प्रकार है:

"आदेश

संचालनालय आदेश कमांक / म/ स्थापना / एक/1-6-79/11625 दिनांक 26.12.83 के श्री एस०के० त्यागी, आत्मज श्री वीरेन्द्र सिंह त्यागी, से संबंधित भाग को निरस्त करते हुए उन्हें अन्वेषण अधिकारी (म) भोपाल के अधीन रिक्त अन्वेषण सहायक (समकक्ष सहायक मत्स्य अधिकारी) के पद पर वेतनमान 740-15-800-20-900-25-1000-30-1180- से संलग्न सेवा शर्तों पर अस्थाई रूप से अन्य आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

संचालक मत्स्योद्योग,

मध्य प्रदेश

34) इसी प्रकार, सभी नियुक्ति आदेश एफ.एफ.डी.ए. के संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए थे। अतः, याचिकाओं में प्रस्तुत विभिन्न आदेशों से यह स्पष्ट है कि एफ.एफ.डी.ए. में नियुक्त याचिकाकर्तागण के मामले में नियुक्ति आदेश एफ.एफ.डी.ए. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा पारित किए गए थे। यह सत्य है कि राज्य सरकार ने एफ.एफ.डी.ए. में कार्यरत याचिकाकर्तागण के मामलों पर, शासकीय विभाग में उनके संविलयन और नियमितीकरण के लिए कई बार विचार किया है, लेकिन कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सका जैसा कि दिनांक 04-08-1992 के पत्र (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 224/2005 के अनुलग्नक-आर/1) से स्पष्ट है और उसके बाद, राज्य सरकार द्वारा

दिनांक 11-05-2006 के आदेश पारित होने तक विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। पहले भी विकल्प आमंत्रित किए गए थे, लेकिन वे याचिकाकर्तागण की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं हैं। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता कि कोई अनियमितता थी। याचिकाकर्तागण को सरकार द्वारा कभी नियुक्त नहीं किया गया था और वे कभी भी मत्स्य विभाग में कार्यरत नहीं थे, इसलिए एक ही वरिष्ठता सूची जारी करना और तदनुसार पदोन्नति प्रदान करना निराधार और कायम रखे जाने योग्य नहीं था।

35) याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत ***ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य***[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मामले के तथ्यों से सुसंगत नहीं है, क्योंकि वह मामला मुख्य सचिव की पदस्थापना से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36) ***रमण दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एवं अन्य***[2] के मामले में याचिकाकर्तागण का इस तर्क के समर्थन में अवलंब कि कार्यपालिका सरकार का मनमाना निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इस सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है। यदि यह पाया जाता है कि निर्णय मनमाना और अनुचित था, तो यह न्यायालय कार्यपालिका के निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने से स्वयं को रोक नहीं सकता।

37) याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सभी मामले न्यायिक समीक्षा के संबंध में हैं।

38) ऐसी स्थिति में, यदि यह पाया जाता है कि कार्यपालिका सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण है, तो यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक संवैधानिक न्यायालय को याचिका पर विचार

1AIR 1974 SC 555
2AIR 1979 SC 1628

करने और आदेश की न्यायिक समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। वर्तमान मामलों में ऐसा नहीं है, जहाँ मूलतः प्रश्न नियुक्ति की प्रकृति, पदोन्नति प्रदान करना, वरिष्ठता सूची और राज्य सरकार द्वारा संविलयन पर याचिकाकर्तागण, प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से सभी लाभों के हकदार हैं या नहीं, जैसे प्रश्नों से संबंधित है।

39) ***आसिफ हमीद एवं अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य***[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

> "19. जब किसी राज्य के आदेश को चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय का कार्य विधि के अनुसार आदेश की जाँच करना और यह निर्धारित करना है कि क्या विधायिका या कार्यपालिका ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत कार्य किया है और यदि नहीं, तो न्यायालय को आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। ऐसा करते समय न्यायालय को अपनी स्व-निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। न्यायालय सरकार की एक समन्वय शाखा के आदेश पर निर्णय देता है। प्रशासनिक आदेश की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। संविधान न्यायालय को नीतिगत मामलों में कार्यपालिका को निर्देश देने या सलाह देने या संविधान के अंतर्गत विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी मामले पर उपदेश देने की अनुमति नहीं देता है, परन्तु ये प्राधिकारी अपनी संवैधानिक सीमाओं या सांविधिक शक्तियों का उल्लंघन न करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[1] 1989 Supp (2) SCC 364

40) ***हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम राम कुमार मार्न[4]*** के मामले में, भेदभाव के सिद्धांत के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

> "3.....भेदभाव का सिद्धांत एक प्रवर्तनीय अधिकार के अस्तित्व पर आधारित है। उसके साथ भेदभाव किया गया और उसे समानता से वंचित किया गया, क्योंकि कुछ समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को भी यही अनुतोष दी गई थी। अनुच्छेद 14 केवल तभी लागू होगा जब समान और उसी प्रकार की परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ बिना किसी तर्कसंगत आधार संबंध के द्वेषपूर्ण भेदभाव किया जाता है। उत्तरवादी को कोई अधिकार नहीं है और उसे गलत तरीके से दी गई अनुतोष, अर्थात त्यागपत्र वापस लेने का लाभ, नहीं दिया जा सकता। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से गलत था कि द्वेषपूर्ण भेदभाव हुआ था। यदि हम किसी गलत कार्य को होने नहीं दे सकते, तो धन का दुरुपयोग करने के बाद, एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है और बाद में उस आदेश को वापस ले लिया जाता है और उसे सेवा में बहाल कर दिया जाता है। क्या समान परिस्थितियों वाला व्यक्ति बहाली के लिए धारा 14 के अंतर्गत समानता का दावा कर सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से "नहीं" है। विपरीत स्थिति में, प्रथम दृष्टया, कोई व्यक्ति गलत है लेकिन गलत आदेश उसी आदेश के प्रवर्तन के लिए समानता का दावा करने का आधार नहीं हो सकता....."

उपरोक्त निर्णय एकता ***शक्ति फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली[5]*** सरकार के मामले में अनुमोदन सहित संदर्भित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4(1997) 3 SCC 321
5(2006) 10 SCC 337

41) ***एकता शक्ति फाउंडेशन (पूर्वोक्त)*** के मामले में सरकार के नीतिगत निर्णय पर निर्णय देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

> "न्यायिक जाँच का दायरा इस प्रश्न तक सीमित है कि क्या सरकार द्वारा लिया गया निर्णय किसी वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार, स्थिति यह है कि यदि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय न्यायालय को स्वीकार्य नहीं लगता है, तब भी वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
>
> 6. न्यायिक समीक्षा में उन कारणों की सत्यता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जिनके कारण सरकार ने निर्णय लेते समय एक विकल्प के बजाय दूसरा विकल्प चुना और न्यायालय ऐसी जाँच के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।
>
> 7. नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि विभिन्न कोणों से सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद वही यह निर्णय ले सकती है कि कौन सी नीति अपनाई जाए। नीतिगत निर्णयों या सरकार द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के मामले में, जब तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं दर्शाया जाता, न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा और न्यायालय ऐसे मामलों में कार्यपालिका के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय नहीं देगा और न ही देना चाहिए। सरकार के किसी निर्णय की औचित्य का आकलन करते समय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही सरकार के दृष्टिकोण से दूसरा दृष्टिकोण संभव हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42) **अश्विनी कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**[6] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

> "13. जहाँ तक इन कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न है, जिनका नियुक्ति स्वयं अवैध और अमान्य था के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि अनियमित रूप से नियुक्त उम्मीदवार के स्थायीकरण या नियमितीकरण का प्रश्न तभी उठेगा जब संबंधित उम्मीदवार की नियुक्ति अनियमित तरीके से या तदर्थ आधार पर किसी स्वीकृत उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध की गई हो। लेकिन यदि प्रारंभिक नियुक्ति ही अनधिकृत है और किसी स्वीकृत रिक्ति पर नहीं है, तो ऐसी अस्तित्वहीन रिक्ति पर अभ्यर्थी को नियमित करने का प्रश्न कभी विचारणीय नहीं होगा और यदि ऐसा कथित नियमितीकरण या स्थायीकरण किया भी जाता है, तो यह निरर्थक होगा। यह मृत जन्मे बच्चे को सजाने के समान होगा। इन परिस्थितियों में उन्हें नियमित करने या उन्हें वैध स्थायीकरण देने का कोई अवसर नहीं था....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह निर्णय ***झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम मंशु कुंभकार***[7] के मामले में अनुमोदन सहित संदर्भित किया गया है।

43) ***म.प्र. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड बनाम महेंद्र एवं अन्य***[8] के मामले में इसी प्रकार के तथ्यों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

> "5..... हमारी राय में, चूँकि उत्तरवादियों ने वेतनमान स्वीकार कर लिया है और एक दशक से अधिक समय तक उसे चुनौती नहीं दी

6(1997) 2 SCC 1
72008 AIR SCW 488
8(2005) 10 SCC 675

है, इसलिए उनके लिए उस वेतनमान की मांग करना उचित नहीं है, जो अपीलकर्ता निगम में समान स्थिति वाले श्रमिकों को उपलब्ध हो सकता है। इस दृष्टि से हमारा मानना है कि श्रम न्यायालय ने गलती की है।"

44) वर्तमान मामलों के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह ध्यान में नहीं आता कि कोई भेदभाव हुआ था। चूँकि याचिकाकर्तागण की नियुक्ति बहुत पहले एफ.एफ.डी.ए. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा की गई थी, इसलिए वे यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की योग्यता सूची के आधार पर नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार द्वारा कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था, इसलिए सरकार और याचिकाकर्तागण के बीच कोई स्वामी-सेवक का रिश्ता नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45) ***देवदत्त एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य***[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविलयन के संबंध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

"8. अब वरिष्ठता के प्रश्न पर आते हैं, सेवा न्यायशास्त्र में किसी पद के संदर्भ में "संविलयन" शब्द का तात्पर्य प्रकृति में यह है कि कोई कर्मचारी जो नियुक्ति या पदोन्नति के आधार पर अपने अधिकार में किसी विशेष पद पर नहीं रहा है, बल्कि किसी अन्य विभाग में किसी भिन्न पद पर है, उसे या तो प्रतिनियुक्ति पर या स्थानांतरण द्वारा उस पद पर लाया जाता है और बाद में उस पद पर संविलयन कर दिया जाता है, जिसके बाद वह अपने अधिकार में उस पद का

---

[1] 91991 Supp (2) SCC 553

धारक बन जाता है और अपने मूल पद पर अपना ग्रहणाधिकार खो देता है....."

46) ***के.सी. वासुदेव एवं अन्य बनाम भारत संघ***[10] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि "पूरी स्थिति का युक्तिकरण करना सरकार के विचार व्यक्त किया में है और यदि वह उचित समझे तो यहाँ तक कि सी.छत्तीसगढ़ में सेवा के लिए महत्व या श्रेय देना भी। लेकिन यह सब उचित विचार-विमर्श के बाद किया जाना चाहिए, न कि केवल दया के भाव से।"

47) ***फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य***[11] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि "उत्तरवादी के स्थायी संविलयन के लिए, अपीलकर्ता निगम को इस आशय का एक आदेश या अधिसूचना जारी करनी होगी। यह निष्कर्ष किसी न्यायालय द्वारा केवल दूसरों द्वारा जारी किए गए किसी पत्राचार या आदेश या अधिसूचना के आधार पर दर्ज नहीं किया जा सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

48) ***एम. रामचंद्रन बनाम गौविंद बल्लभ एवं अन्य***[12] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

"12.....वरिष्ठता एक सुसंगत शब्द है जिसका संदर्भ उस वर्ग, श्रेणी और ग्रेड से है जिसका संदर्भ दिया जाता है। सेवा की अवधि वरिष्ठता निर्धारित करने की एक मान्यता प्राप्त विधि है। ऐसी सेवा अवधि उस वर्ग, श्रेणी या ग्रेड से संबंधित होगी जो संबंधित समय पर पक्षकार धारण कर रहे थे। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल सेवा अवधि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सुसंगत नहीं है, लेकिन

101980 Supp SCC 341
11(1996) 3 SCC 325
12(1999) 8 SCC 592

किसी विशेष वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में सेवा अवधि वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि के संबंध में अवधि की गणना करने के प्रयोजनों के लिए सुसंगत विचार है....."

49) ***इंदु शेखर सिंह एवं अन्य बनाम यू.एफ. राज्य एवं अन्य***[13] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

"26. अतः, उन्होंने अपने विकल्प के अधिकार का प्रयोग किया। एक बार चुनाव के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के बाद, उन्हें पलटकर यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि शर्तें अवैध हैं। (***देखें आर.एन. गोसाईं बनाम यशपाल धीर, रमनकुट्टी गुप्तान बनाम अवारा और बैंक ऑफ इंडिया बनाम ओ.पी. स्वामीकर***) इसके अलावा, किसी स्वायत्त निकाय में प्रदान की गई सेवाओं की गणना के संबंध में कोई मौलिक अधिकार नहीं है। पिछली सेवाओं को केवल तभी ध्यान में रखा जा सकता है जब नियम इसकी अनुमति देते हों या जहाँ कोई विशेष स्थिति हो, जो कर्मचारी को पिछली सेवा का ऐसा लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाती हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

50) न्यायालय के समक्ष शिकायतों को उठाने में हुई लापरवाही और देरी पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम बलकरन सिंह***[14] के मामले में निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

"22. हमारे अनुसार, यह मुकदमा मौन स्वीकृति और विबंधन द्वारा भी वर्जित है। किसी भी सेवा में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठता के प्रश्न पर 12 वर्षों से अधिक समय तक सोया हुआ नहीं कर सकता और फिर ऐसी अनुतोष की मांग करते हुए न्यायालय में आ जाएगा जिससे संबंधित वरिष्ठता सूचियों में वरिष्ठ के रूप में दर्शाए गए कई

13(2006) 8 SCC 129
14(2006) 12 SCC 709

व्यक्तियों की वरिष्ठता प्रभावित हो। इसलिए, प्रथम दृष्टया, ऐसी घोषणात्मक अनुतोष, जिसका प्रभाव बारह वर्ष पुरानी और नौ वर्ष पुरानी वरिष्ठता सूची में परिवर्तन करने का हो, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती थी।"

51) ***उत्तर प्रदेश जल निगम एवं अन्य बनाम जशवंत सिंह एवं अन्य***[15] के मामले में

"6. इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में विलंब और लापरवाही के प्रश्न की जांच की गई है और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विवेकाधीन अनुतोष के प्रयोग में लापरवाही और विलंब को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है और स्थिति से सहमत है, तो क्या उसकी रिट याचिका पर इस आधार पर कुछ वर्षों बाद सुनवाई की जा सकती है कि उसे भी वही अनुतोष दिया जाना चाहिए जो समान स्थिति वाले व्यक्ति को दिया गया था, जो अपने अधिकारों के प्रति सजग था और जिसने अपनी सेवानिवृत्ति को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर चुनौती दी थी ....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

52) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उद्धृत विभिन्न मामलों में निर्धारित सिद्धांत के आलोक में, और उसे प्रस्तुत मामलों के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि:

(i) याचिकाकर्तागण की नियुक्ति मत्स्य पालन संचालक द्वारा नहीं की गई थी और इस प्रकार वे राज्य सरकार द्वारा संविलयन किए जाने तक शासकीय कर्मचारी नहीं थे। वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की

15(2006) 11 SCC 464

तिथि से ही मत्स्य पालन विकास प्राधिकरण (एफ.एफ.डी.ए.) के कर्मचारी थे।

(ii) याचिकाकर्तागण को दिनांक 11-05-2006 के नीतिगत निर्णय (रिट याचिका क्रमांक 6092/2006 का अनुलग्नक-पी/1) के अनुसरण में शासकीय विभाग में संविलयन किया गया था।

(iii) याचिकाकर्तागण दिनांक 11-05-2006 के नीतिगत निर्णय के अनुसार वेतन, वरिष्ठता और अन्य लाभों के निर्धारण के हकदार हैं।

53) उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, सभी याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Ashwani Shukla, Advocate